

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी रामरतन शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 77/2015

सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी

सायल

बनाम

1. इलियास
2. कासम
3. फारूख पिसरान चावखां जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी
4. मकसूदन पुत्री चाव खां पत्नि रफीक जाति मेव निवासी ग्राम झांडा तहसील पुन्हाना जिला मेवात (हरियाणा)
5. जुहुरी पत्नि चाव खां जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रीतम सिंह वकील सायल

श्री नसरु खां वकील गैरसायलान

दिनांक :- 28.08.2019

निर्णय

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 57 के खसरा नं0 296/0.18, 305/0.66, 327/0.57, 586/282/0.03, 180/1.11, खाता संख्या 58 के खसरा नं0 180/0.28, 281/0.41, 295/0.15, 303/0.40, 304/0.36, 322/0.45, 421/0.28, खाता संख्या 106 के खसरा नं0 374/0.29, 375/0.27, का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 107 के खसरा नं0 287/0.43, 292/0.23, 294/0.23, 303/0.40, 304/0.32, 322/0.49, 421/0.28, खाता संख्या 176 के खसरा नं0 374/0.09 का 1/2 हिस्सा कुल कित्ता 22 कुल साबिक नम्बर 15 रकबा 7.90 है0 बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है। गैरसायल संख्या 6,7,8 वाहैसियत सायल है लेकिन वे बाबत दायरी प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमानजी में हाजिर नहीं आये है। इसलिए उन्हे तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। गैरसायल संख्या 1 लगायत 4 का पिता व 5 का पति चावखां फोट हो गया है इसलिए इन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया

3

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर) राज0



है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य एवं बुर्जुग निजरू के वारिसान है एवं समस्त रकबा दादा निजरू के कब्जे काश्त व खातेदारी का है। निजरू के दो लडके मुन्शी व चांव खां थे जिनके वारिसान मुन्शी के सायल व तरतीवी गैरसायलान एवं चांव खां के गैरसायलान असल है। जो मुताबिक कानून साबिह नं० 15 कुल रकबा 7.90 है० एवं खसरा नं० 156/0.11, जो की दादा निजरू का था और वह नम्बर चांव खां के हिस्से में आया था जो चांव खां ने अजीम पुत्र राजू को बेच दिया था। स प्रकार रकबा 7.90 व 0.11 कुल 8.01 है० हुआ। जिसमें से सायल व गैरसायलान निस्फ निस्फ हिस्सा के हकदार हुये । गैरसायल के पिता चांव खां ने खसरा नं० 156 का भी बेचान कर दिया और आज चांव खां के खाते में 4.01 रकबा दर्ज है। एवं सायल पक्ष ने तो हमारे पिता मुन्शी ने और ना ही हम तीनों भाईयों ने किसी भी नम्बर का कोई भी हिस्सा पूर्व में बेचान नहीं किया है। आराजी खसरा नं० 295/0.51, में से 0.04 में हमारा सांमलात कुंआ बना हुआ है एवं इस नम्बर में हम दोनों यानि मुंशी व चांवखां का कब्जा है एवं शुरू से मनबट हुये पडे है। सायल व तरतीवी गैरसायलान असल ने दिनांक 28.08.2015 को उक्त रकबें की खातेदारी हमारे नाम कराने को कहा तो उसने खुलेआम मना कर दिया। एवं ऐलानिया धमकी दी है कि आराजी मुत० को किसी कीमत पर नहीं देगे एवं हम सालिम रकबा बेच देगे एवं जबरदस्ती कब्जा दे देगे। यदि गैरसायलान अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को अपरमित क्षति होगी विदी वजह सायल जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से ताफैसला मुकदमा गैरसायल असल को पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर०टी० एक्ट पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ताफैसला मुकदमा आराजी मुत० को रहन वय मुन्तकिल न करे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायलान मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायान सायल के पिता मुन्शी एवं गैरसायलान के पिता चावखां आपस में खास भाई थे सायल एवं गैरसायलान के पिता का देहान्त हो चुका है। पूर्व में आराजी मुतदाविया को सम्मलित रूप से सामिल रहकर काश्त करते रहे और जब उनका सम्मलित रूप से काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो आज से करीब 40 साल पूर्व उन्होने आराजी मुतदाविया को मनबट के आधार पर बांट

3

सुप खण्ड अधिकारी
पञ्जा (भरतपुर) राज०

लिया और पृथक-पृथक नम्बर बांट कर तभी से अलग खाते कायम कराकर पृथक पृथक रूप से राज लगान अदा करते रहे। खाता संख्या 58 में वर्णित भूमि गैरसायलान के पिता के हिस्से में आई और खाता संख्या 107 की भूमि व अन्य कृषि भूमि सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में आई खाता संख्या 57 की भूमि को वह वाहिस्सा बराबर एवं खाता सं० 106 के निस्फ हिस्से की कृषि भूमि को वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काशत करते रहे तथा सायल के पिता व गैरसायल के पिता द्वारा खसरा नं० 1956 भूमि को उन्होने अपने घरेलू आवश्यकताओं की वजह से अजीम पुत्र राजू को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सम्मिलित रूप से बेचान कर दिया। जिसको पूर्व में दोनों वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काशत करते थे। और दोनो का ही राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित था। इस नम्बर का बेचान गैरसायलान के पिता ने अकेले नहीं किया। बाबा निजरू के वारिसान सायल तथा तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता मुन्शी एवं गैरसायलान के पिता चावखां ने आराजी मुतदाविया एवं अपनी अन्य आराजी का बंटवारा अपने जीवन काल में ही करीब 40 वर्ष पूर्व ही कर लिया था और वह दोनों मुताबिक बंटवारा अपनी आराजी पर काशत करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद शेष रही भूमि खाता संख्या 57 एवं 106 में वर्णित भूमि का बंटवारा सायल तरतीवी प्रतिवादी व गैरसायलान के बीच दिनांक 28.06.2006 को न्यायालय एस०डी०ओ० कामां द्वारा वाद संख्या 153/05 उनवान खुर्शीद बनाम सुब्बा के द्वारा डिक्री पारित कर कर दिया गया। और उस दिन हम पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा शेष नहीं रहा। फिर भी सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र व दावा गलत तरीके से गलत तथ्य अंकित कर पेश किया है जो काबिले खारिज के है। खसरा नं० 295 के संबन्ध में तथ्य अंकित किये है कि इस नम्बर में सामलाती कुंआ बना हुआ है इस नम्बर में कभी भी कोई कुंआ नहीं रहा है। सायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो कतई मैन्टेनेबिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

बहस में वकील सायल ने निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य एवं बुर्जुग निजरू के वारिसान है एवं समस्त रकबा दादा निजरू के कब्जे काशत व खातेदारी का है। निजरू के दो लडके मुन्शी व चांव खां थे जिनके वारिसान मुन्शी के सायल व तरतीवी गैरसायलान एवं चांव खां के गैरसायलान असल है। जो मुताबिक कानून साविह नं० 15 कुल रकबा 7.90 है० एवं खसरा नं० 156/0.11, जो की



उत्तराखण्ड सरकार
मुख्य (पर्यावरण) सचिव

दादा निजरू का था और वह नम्बर चांव खां के हिस्से में आया था जो चांव खां ने अजीम पुत्र राजू को बेच दिया था। स प्रकार रकबा 7.90 व 0.11 कुल 8.01 है0 हुआ। जिसमें से सायल व गैरसायलान निस्फ निस्फ हिस्सा के हकदार हुये । गैरसायल के पिता चांव खां ने खसरा नं0 156 का भी बेचान कर दिया और आज चांव खां के खाते में 4.01 रकबा दर्ज है। एवं सायल पक्ष ने तो हमारे पिता मुन्शी ने और ना ही हम तीनों भाईयों ने किसी भी नम्बर का कोई भी हिस्सा पूर्व में बेचान नहीं किया है। आराजी खसरा नं0 295/0.51, में से 0.04 में हमारा सांमलात कुंआ बना हुआ है एवं इस नम्बर में हम दोनों यानि मुंशी व चावंखां का कब्जा है एवं शुरू से मनबट हुये पडे है। प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें । बहस में वकील गैरसायलान ने निवेदन किया कि वादी ने दावा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 3 व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 के खिलाफ पेश किया तरतीवी प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र टीआई में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। दावा के मद नं0 2 में अंकित आराजी खाता संख्या 57 व 58,106, 107 ,176 के कुल खसरा नम्बर 22 के बाबत पेश किया है। जिन सभी नम्बरान जो वादी तरतीवी प्रतिवादीगण एवं असल प्रतिवादीगण के नाम है। जबकि मद नं0 8 में केवल खसरा नम्बर 295 को ही विवादित बताया गया है। अनुतोष में किसी भी आराजी का विवरण नहीं है। जबकि न्यायालय द्वारा सभी खातों की भूमि पर टीआई जारी किया गया है। जो गलत है। काबिले खारिज के है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पिताओं का खाता संख्या 58,107, की भूमि का बंटवारा हमारे पिताओं ने ही आपसी सहमति से कर लिया खाता संख्या 58 की भूमि प्रतिवादीगण के पिता चावंखां व 106 की भूमि वादीगण के पिता मुन्शी के हिस्से में आई । जिनका खाता अलग अलग है। खसरा नम्बर 295 प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में आया जिस पर प्रतिवादीगण ही काबिज है। वादीगण तरतीवी प्रतिवादीगण जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। शेष बची भूमि खाता संख्या 57 व 106 का बंटवारा न्यायालय एसडीओ कामां द्वारा किया । डिक्री दिनांक 28.06.2006 के द्वारा आपसी सहमति से हो चुका है। जिसमें वादी ने सहमति दी है। अगर खसरा नम्बर 295 में उनकी भूमि निकलती तो वह आपत्ति करते । तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 खुर्शीद ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें कथन किया हैं कि खसरा नं0 295 से हमारा व



2

दस्तावेज संख्या
295/0.51/2006

वादी का कोई लेन देन नहीं है। जिसे प्रतिवादीगण ही जोत बो रहे हैं एवं इन्ही का कब्जा है। न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1984 पेज 492 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मुकदमा आराजी खसरा नं0 295/0.15 बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी को रहनवय मुत्तकिल नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड, मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं शेष खसरा नम्बरान की बाबत पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.09.2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

